राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :— 505 / 2023

घनश्याम सांसी (कर्मचारी आई.डी.— आरजेपीजी20030049945)

—अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	19.01.2023
आदेश की दिनांक	:	31.01.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री अजयराज, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायत समिति, धमोत्तर प्रतापगढ से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवली, टोंक किया गया है, जो पूर्णतया राजनैतिक आधार पर व विपक्षी—4 को लाभांवित करने के आशय से तथा अपीलार्थी को हैरान परेशान करने व नियमों के विरूद्ध किया गया है। उनका आगे तर्क है कि संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 08.03.2017 को परिपत्र के अतिक्रमण में राज. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में निम्न दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से जारी किये गए। अधीनस्थ लेखा सेवा के कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार (नवीन पदनाम— सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।।) एवं सहायक लेखाधिकारी (नवीन पदनाम— सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।) का स्थानांतरण चार वर्ष से पूर्व नहीं किया जावेगा। विशिष्ठ परिस्थितियों एवं राज्य हित में चार वर्ष से पूर्व भी राज्य सरकार की अनुमति से स्थानांतरण किया जा सकेगा। जबकि अपीलार्थी को अभी एक साल भी पूर्ण नहीं हुआ था कि स्थानांतरण आदेश पारित कर दिया गया है। इस आधार पर भी आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी को दिनांक 18.01.2022 के आदेश के द्वारा पंचायत समिति धमोत्तर प्रतापगढ स्थानांतरित किया गया था। इसके पश्चात् वर्तमान आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2023 के द्वारा

अपीलार्थी को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, देवली, टोंक में लगाया गया है, जो एक वर्ष पश्चात् लगाया गया है। ऐसा कोई आधार हमारे सामने प्रकट नहीं है कि निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ देने के लिए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)